Title: Regarding relief measures for workers in Agrarian Sector.

15.31 hrs.

MR. CHAIRMAN : Before further discussion on the Resolution regarding relief measures for workers in agrarian sector by Shri P.K. Vasudevan Nair is resumed, I would like to mention that the time allotted for discussion on the Resolution has already exhausted.

Is it the pleasure of the House that the time for this Resolution be extended by half an hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The time is extended by half an hour.

Shri Bijendra Singh − not present

Shri Alok Kumar Mehta − not present

Shri Shailendra Kumar.

15.32 hrs

[SHRI VARKALA RADHKRISHNAN in the Chair]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे कृषि क्षेत्र में कर्मकारों के लिए राहत उपाय संकल्प पर हो रही चर्चा में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। चूंकि मेरे से पहले के दोनों सदस्य हाउस में उपस्थित थे लेकिन एक सदस्य को मालूम ही नहीं था कि इस पर चर्चा हो रही है, इसलिए मुझे बोलने का मौका मिला। आज सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबकी चिन्ता बराबर है। इस देश के 70 प्रतिशत किसान आज भी गांव में बसते हैं। किसान के साथ जो मजदूर है जिसे हम कर्मकार कहते हैं, उसकी स्थिति बड़ी खराब है। जब किसान खेती के नाम पर ऋण लेता है, और जब कभी प्राकृतिक आपदा आती है, तो वह उस ऋण की अदायगी नहीं कर पाता। जब किसान बाढ़, ओलावृटि या सूखे की स्थिति में उस ऋण की अदायगी नहीं कर पाता तो जबरदस्ती उससे ऋण की वसूली की जाती है जिससे वह विवश हो कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है।

हमने समय-समय पर चर्चा की है कि आंध्र प्रदेश में पांच-छः सौ किसानों ने इसी के चलते आत्महत्या की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे और जो कर्मकार हैं, मजदूर हैं, उनके लिए राहत की व्यवस्था करें। अगर वह मजदूर ऋण की अदायगी नहीं कर पाता, तो तुरंत आरसी इश्यू हो जाता है। हमारा कहना है कि बड़े लोग यदि ऋण की अदायगी नहीं करते तो उनको जेल में नहीं रखा जाता लेकिन यदि किसान ऋण की अदायगी नहीं करता तो आरसी इश्यू होने के बाद उसको तहसील के कटघरे में रखा जाता है। बड़े लोग बाहर रहकर ऋण की अदायगी करते हैं और उनको कटघरे में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार राजस्व की तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जिससे सरकार को नुकसान होता है, वह किसान, कर्मकारों से न होकर बड़े लोगों से होता है।

दूसरी बात, मैं कहना चाहूंगा कि जो आज किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है, यह सदन इस पर गंभीरता से चिंता करे। एक बात मैं प्रमुखता से कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश में ऐसे कर्मकारों को चिन्हित करने की जरूरत है जो डेली कमाते और खाते हैं। कुछ लोग खेती करते हैं और बहुत से लोग खेती किसानी करवाते हैं। इसमें जो कर्मकार हैं, मजदूर हैं, उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था कैसे हो, उनका पुनर्वास कैसे करें, इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि देश में हमारे कितने ऐसे कर्मकार हैं जिनकी माली हालत खराब है जो अपना गुजर-बसर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में कर पाते हैं, ऐसे परिवारों का जीवन-यापन कैसे चलेगा, उनको कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, इस पर सदन को बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

तीसरी बात, राहत के नाम पर, समय-समय पर जो भी सरकार हो चाहे एन.डी.ए. की हो या यू.पी.ए. की सरकार हो, बहुत कुछ करती है। गांवों में आप चले जाइए, तमाम किसान ऐसे हैं जो डेली कमाते हैं और दूसरों के खेतों पर मजदूरी करके कमाते हैं लेकिन उनकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि आज गांवों से शहरों की तरफ बड़ी तेजी से पलायन हो रहा है। इसी के चलते आज खेती-किसानी करवाने वाले जो लोग गांवों में हैं, उनको मजदूर नहीं मिल पाते। कई बार ऐसे कर्मकारों और मजदूरों का शोषण होता है और उनको मानदेय बहुत कम दिया जाता है और दलिया या अनाज देकर दिनभर उनसे काम कराया जाता है। इस ओर सरकार को सोचना पड़ेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। चूंकि यह विषय-- 'कृषि क्षेत्र में कर्मकारों के लिए राहत उपाय' श्री पी.के.वासुदेवन नायर द्वारा लाया गया है और चूंकि विषय बहुत व्यापक है और इसके आयाम भी बहुत व्यापक हैं, इसलए इस विषय में पूरा कृषि क्षेत्र आता है और संगठित मजूदर, खेतिहर मजदूर श्रमिकों का यह पूरा विषय बन जाता है। आज जो स्थिति है, उसमें राहत के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का लगभग 26 प्रतिशत है। अर्थात् जिसकी क्रय शक्ति बहुत कम है, जो समाज में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, ऐसे लोगों, ऐसे तबकों को राहत देने के बारे में आज इस सदन में चर्चा हो रही है। इसलिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग, जिनकी क्रय शक्ति बहुत कम है, जिनके पास बाजर से अनाज व सामान खरीदने की क्षमता नहीं है, चाहे वे असंगठित मजदूर हों या खेतिहर मजदूर हों, आजादी के लगभग 57 वर्ष बाद भी जो रिक्शा, ठेला या टैम्पो चलाने वाले लोग हैं, जो सर पर बोझ ढ़ोने वाले लोग हैं, वे अपनी औसत उम्र भी पूरी नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि एक इंसान की औसत उम्र जैसे 66 वर्ष हो, इलियास आज़मी साहब कह रहे हैं, वे 50-55 की उम्र तक ही चले जाते हैं क्योंकि उनको पेटभर भोजन नहीं मिल पाता है। एक इंसान को जो 2700 कैलोरी प्रतिदिन कम से कम भोजन में मिलनी चाहिए, ऐसा संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है जिसके कारण उसे जीने के लिए ताकत मिले।

आज देखने में आता है कि खेतिहर मजदूर, गरीब रिक्शा चलाने वाले, बोझा ढोने वाले, मेहनत करने वाले ये लोग ही टीबी रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। आज

देश हमारा किसान वर्ग पर गर्व कर रहा है जिसने बड़ी मात्रा में अन्न पैदा किया है। यह उपलब्धि हमारे सामने है। यह किसानों का पसीना है, खेतिहर मजदूर और असंगठित श्रमिक लोगों का श्रम है। यही हमारी उपलब्धि है और यही हमारी पूंजी है। इसी पर हम फख्र करते हैं। इसी वर्ग ने आज हमें अन्न भण्डार के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है।

महोदय, आज देश में अनाज उत्पादन में लगा हुआ जो मजदूर और किसान वर्ग है, उसका पलायन हो रहा है। पलायन का मतलब है कि रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। अभी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम जैसे राज्यों से किसान और मजदूर पलायन करके पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे दूसरे राज्यों में जाते हैं क्योंकि इन स्थानों पर उन्हें कुछ न कुछ काम मिल जाता है जिससे कम से कम वे दो समय अपना और अपने बच्चों का पेट भर पाते हैं। इसीलिए आज पलायन तेजी से हो रहा है। इस पलायन के कई कुप्रभाव सामने आ रहे हैं। जिन राज्यों से ये लोग पलायन करके चले जाते हैं, उनमें कृषि के राष्ट्रीय उत्पादन पर भारी कुप्रभाव पड़ रहा है, प्रतिकूल असर पड़ रहा है। चूंकि वहां श्रम का पलायन हो गया है तो वहां कृषि पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है। उन राज्यों में कृषि में श्रम का अभाव हो गया है। इससे कृषि उत्पादन पर असर पड़ता है।

महोदय, आपने देखा होगा कि हमारा जो हाल ही का इकोनोमिक सर्वे है, उसमें यह ट्रेण्ड दिखाया गया है कि कृषि उत्पादन में कमी आ रही है। यह देश के लिए एक खतरनाक संकेत है। हालांकि हमें विश्वास है कि यह कमी नहीं आएगी क्योंकि यूपीए सरकार इस स्थिति को सुधारने पर ज्यादा जोर दे रही है। आज किसानों के सामने किस तरह की स्थिति है, आप इसे देख लीजिए। मैं इसीलिए इस विषय को उठाना चाहता हूँ कि किसान एकमात्र ऐसा सम्वर्ग है जो अपने काम में बेईमानी नहीं कर सकता है। अगर उसके पास पांच कट्ठा जमीन है तो वह उसी में पानी डालेगा, सिंचाई करेगा, जुताई करेगा, बीज डालेगा, हल चलाएगा, मेहनत करेगा, लेबर करेगा और सुपरविजन करेगा, तब कहीं जाकर उस जमीन में कुछ अन्न पैदा होगा। लेकिन अगर वह चाहे कि केवल चार कट्ठे में जुताई और बुआई करे तो जमीन का जो पांचवां कट्ठा छूट जाएगा, उससे उसे कोई अन्न उत्पादन नहीं प्राप्त होगा। कहने का अर्थ यह है कि वह किसी भी प्रकार से बेइमानी नहीं कर सकता है, उसके पास बेइमानी करने की कोई गुजाइश ही नहीं होती है। लेकिन अगर आप दूसरे क्षेत्रों को देखें जैसे इंजीनियरिंग का काम है, अगर 10 किलोमीटर सड़क बनना हो तो केवल 9 किलोमीटर सड़क बनाकर एक किलोमीटर सड़क का पैसा खा लिया जाता है। आज कागजों पर दिखा दिया जाता है कि इतना काम हो गया, इतना खर्चा हो गया। कागज में ही डाटा तैयार कर लिया जाता है। डाटा कलेक्शन करके पूरे देश की प्रगति की बात निकाल देते हैं, बीपीएल का एस्टीमेट बन जाता है। यह बता दिया जाता है कि पूरे देश में इतने लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। इस तरह एक मानक बना लिया जाता है, लेकिन यह रियलिटी नहीं है। यह रियलिटी हो भी नहीं सकती है। इस तरह से हम केवल यह बता सकते हैं कि लगभग इतने लोग बीपीएल श्रेणी में आते हैं। उस डाटा की एनालिसिस हो सकती है, एस्टीमेट बन सकता है।

अतः आज जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले, सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, उनका पेट नहीं भर रहा है। ये किसान और मजदूर अपनी मेहनत से हम लोगों का, देश की सीमा पर लड़ने वालों का, सभी वर्गों का पेट भरते हैं, लेकिन आज इन लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है। वे लोग खुद भूखे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह एक गंभीर चिन्ता का विषय है। इसलिए मैं माननीय सदस्य श्री नायर जी को धन्यवाद देता हूँ कि वह बहुत ही उपयोगी प्रस्ताव सदन के सामने लाए हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से इस पर गंभीर विचार किया जाएगा और इस पर सरकार इस पर जवाब देगी, उसे बहुत पॉजिटिव्ली लिया जाना चाहिए।

पहले भी देखा गया है कि जो खेतीहर मजदूर हैं, वे निर्धन हैं और बेरोजगार भी हैं। इसलिए उनकी हालत बहुत खराब है। किसानों को जो ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, उसका प्रोसेस बहुत ब्लाक स्तर पर बड़ा जटिल है। वह बैंक में दरख्वास्त देता है और फिर लोन के लिए इधर-उधर धक्के खाता रहता था। इससे उसकी हालत और खराब हो जाती है। यह बात ठीक है कि यूपीए सरकार ने इस वर्ष के बजट में कृषि के लिए अधिक धनराशि का प्रावधान किया है और कृषि को प्राथमिकता देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन किसानों को ऋण सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं है। आज किसानों को 12 प्रतिशत से लेकर 18 प्रतिशत और किसी-किसी बैंक में तो 19 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन मिलता है। जब किसान कृषि के लिए लोन ले तो उसे 12 प्रतिशत से लेकर 19 प्रतिशत तक ब्याज दर पर लोन मिलता है, लेकिन जो इलीट क्लास है, जो इस देश की आबादी का पांच प्रतिशत है, जो इंडिया गेट के भीतर रहने वाले, इंडिया में रहने वाले लोग हैं, उन्हें कार खरीदने के लिए छः प्रतिशत ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। अगर वे हाउसिंग लोन लेना चाहें, तो वह भी सात प्रतिशत की ब्याज दर पर आसानी से उन्हें उपलब्ध है। उसके लिए सभी बैंक तैयार हैं। उन्हें सिर्फ इनकम टैक्स की क्लियरेंस और पैन दिखाकर छः-सात प्रतिशत ब्याज दर पर आसानी से लोन मिल जाता है। गरीब के पास तो इनकम टैक्स या पैन नहीं होता इसलिए उसे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा कहना है कि भारत और इंडिया के बीच डिवीजन नहीं होना चाहिए। आज भी इन दोनों के बीच में भेदभाव है।

आज भारत इंडिया गेट के बाहर बसता है और इंडिया गेट के भीतर इंडिया है। मुम्बई के गेटवे आफ इंडिया के भीतर इंडिया है, उसके बाहर चले जाएं और देख लें कि भारत की क्या हालत है। जेएनपीटी के बाहर देख लें कि खेती का क्या हाल है। इसी तरह आप महाराष्ट्र में विदर्भ में चले जाएं, नासिक में प्याज पैदा करने वाले किसानों की हालत देख लें। इस तरह से भारत की हालत बहुत खराब है। भारत का मतलब उन 85 प्रतिशत लोगों से है, जो खेती पर निर्भर करते हैं, मुनस्सर करते हैं। वही लोग आज भूखे हैं।लेकिन इंडिया गेट के भीतर जो लोग हैं, उन्हें सब सुविधा प्राप्त है। इसलिए भारत और इंडिया में भेदभाव मिटना चाहिए।

इसलिए मैं इस निजी संकल्प के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें भारतीय एकता को मजबूत करने के लिए इन बातों पर गौर करना चाहिए। अमीर और गरीब के बीच जो लम्बा फासला है, उसे घटाना पड़ेगा। मैं गांव की बात बताता हूं। पुराने जमाने में अमीर आदमी हाथी पर चढ़ता था। उसकी ऊंचाई धरती से 17 फीट के करीब होती थी। पांच फीट उसकी एक आदमी की ऊंचाई और 12 फीट के करीब हाथी की मान लो, तो इस तरह से वह 17 फीट ऊंचा होता था। इतनी इकोनॉमिक डिसपैरिटी अमीर और गरीब के बीच हुआ करती थी। प्राचीन काल में सुखी-सम्पन्न और सम्भ्रांत लोग हाथी पर चढ़ा करते थे। इस कारण अमीर और गरीब के बीच करीब 17 फीट की ऊंचाई होती थी। लेकिन आज आप देख लें कि वह ऊंचाई 35,000 फीट की हो गई है, क्योंकि आज अमीर लोग हवाईजहाज पर चढ़ते हैं। यह जो आर्थिक विषमता बढ़ी है, इसके चलते ही आज समाज में हिंसा हो रही है। लोग एके-47 उठाने पर मजबूर हो रहे हैं और हिंसा का वातावरण पैदा हो रहा है। गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ रही है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इसलिए यह जो आर्थिक असमानता है, इसे घटाना होगा। हम यह नहीं कहते कि आकाश में चलने वाले लोगों को नीचे लाया जाए। उन्हें आसमान पर ही उड़ने दें, लेकिन वह दूरी तो कम होनी चाहिए, जिससे कम से कम गरीब को, खेतीहर मजदूर को और किसान को रोजी-रोटी तो मिले और उनके लिए रोजगार के अवसर खुलने चाहिए। एनडीए सरकार ने असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के नाम से एक बिल बनाया था। उनकी सरकार के साथ ही वह सामाजिक सुरक्षा का बिल भी चला गया।

न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग निर्धारित की गयी है। मेरा अनुरोध है कि न्यूनतम मजदूरी सारे देश में एक होनी चाहिए, उसमें एकरूपता लाई जानी चाहिए। हमारे एनडीए के लोग उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने हर साल एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी लेकिन उन्हें पता नहीं था कि रोजगार कहां से मिलेगा। साथ ही उन्होंने दस प्रतिशत कटौती की बात भी कही थी। अगर हमें रोजगार को बढ़ाना है तो हमें कृषि के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की बात करनी होगी, लघु उद्योग के क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की बात करनी होगी, ग्रामीण उद्योगों, छोटे उद्योगों और हथकरघा उद्योग से रोजगार मिल सकता है। इसलिए इन उद्योगों को बढ़ाने की बात करनी होगी। लेकिन एनडीए की सरकार ने लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, कपड़ा उद्योग और हर उस ट्रैडिशनल काम को जो हाथ से होता था, अपने 6 साल से शासन में खत्म किया।

जब बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी। गरीबी के कारण बेरोजगारी नहीं होती है बल्कि बेरोजगारी के कारण गरीबी होती है। गरीब लोगों को जब तक आप रोजगार का अवसर नहीं देंगे तब तक हम गरीबी पर काबू नहीं पा सकते हैं। लेकिन आज बड़ी-बड़ी प्राइवेट कंपनियां रोजगार को हड़पने के लिए खड़ी हैं। ग्लोबलाइजेशन और प्राइ

वेटाइज़ेशन के नाम पर ट्रैडिशनल रोजगार को खत्म किया जा रहा है। ये बड़ी कंपनियां पूंजी प्रधान होती हैं जबकि हमारे देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए श्रम-प्रधान रोजगार की आवश्यकता है। इसलिए जब तक श्रम की प्रधानता नहीं होगी, तब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा, श्रम-प्रधान उद्योगों को जब तक बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक इस देश में बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं हो सकेगा। यह मौलिक स्वाल है जिसे मैं उठा रहा हूं। रविदास जी से लेकर कबीर दास जी और भीमराव अम्बेडकर जी तक सबने श्रम की महानता का संदेश दिया है। कबीर दास जी ने कहा था कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उन्होंने बुनकर का काम करके दिखाया। आज उन्हें संत और दार्शनिक के रूप में लोग जानते हैं। बेरोजगारी की समस्या पहले भी थी लेकिन पहले उसको हल करने का रास्ता ढूंढां गया था।

आज हमारे देश में 92 प्रतिशत असंगठित मजदूर हैं और काफी देर से मैं उनकी समस्या के हल का रास्ता बता रहा हूं। जब तक गरीब आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा वह गरीबी के चंगुल में फंसा रहेगा और गरीबी की रेखा के नीचे रहने के कारण उसकी खरीद शक्ति नहीं बढ़ेगी। उनका उत्थान, अपलिफ्टमेंट तभी हो सकता है जब खेत मजदूरों और असंगठित मजदूरों को रोजगार के अवसर मुहैया हों। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में करीब 7-8 प्रतिशत ही कुशल या संगठित मजदूर हैं और देश को उनकी सेवाएं मिल रही हैं।

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : यह 8 परसैंट है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप लेबर मिनिस्टर रहे हैं और हमारे मित्र रहे हैं। आप 1996 में कैबिनेट में मेरे साथ थे। उन्होंने ठीक कहा कि 8 परसैंट संगठित मजदूर हैं जिन के ऊपर भी खतरा है। विदेश का जो नया सिस्टम चला है, वह कहता है कि हमें उत्तम सेवा चाहिए। जो 8 परसैंट संगठित मजदूर है, उसकी सेवा को अच्छा माना नहीं जाता है जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम विदेशी दरवाजे खठखटाते हैं लेकिन विदेशों की जो सेवा शर्तें हैं, वे हमारे यहां नहीं हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 8 प्रतिशत लोग उन्हीं में से हैं। आज 92 प्रतिशत असंगठित मजदूरों की हालत खराब है ही लेकिन 8 प्रतिशत संगठित मजदूरों की भी हालत खराब है।

जहां तक किसानों का सवाल है, मैं उनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि समय नहीं है। मैं इस विाय में काफी लम्बी बात कह सकता हूं। सरकार ने विश्व मंच में अपने पक्ष को अच्छी तरह से उठाने का काम किया इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चाहे कमलनाथ जी हों, या दूसरे कोई मंत्री वहां गए हों। उन्होंने बहुत मजबूती से, देश के व्यापक हित को विश्व के मंच में उठाने का काम किया है। पिछले दिनों विश्व मंच में जो समझौता हुआ, मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं जिस का ग्रीन बुक में जिक्र किया गया है। उसमें मीनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कहा गया है कि यह ट्रेड डिस्टौरटिंग सपोर्ट प्राइस है और इसे कम करो। यह डबल्यूटीओ का कहना है। दुनिया के दूसरे देशों में 400-500 परसैंट सबसिडी है लेकिन हमारे यहां इसकी तुलना में और उस हिसाब से वह नगण्य है। हमें कहा जाता है मीनिमम सपोर्ट प्राइस कम करो और इसे धीरे-धीरे खत्म करो। सरकार के एजेंडा के मुताबिक हम किसानों को लाभकारी मूल्य देते हैं। यूपीए के कॉमन मीनिमम प्रोग्राम में भी इसका जिक्र है कि एमएसपी देने के बारे में देश के किसानो को इंश्योर किया जाए। 85 परसैंट लोग जो कृषि पर निर्भर है, उनको एमएसपी देने के बारे में ये कहते हैं कि यह ट्रेड डिटौरटिंग सपोर्ट प्राइस है इसलिए इसे घटाया जाए। देश के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए इसका प्रॉवीजन किया गया है। दुनिया के दूसरे देशों के अनुपात में हमारे यहां दी जाने वाली सबसिडी बहुत ही कम है इसलिए हमें स्वयं इस पर विचार करना पड़ेगा।

आज किसानों पर चारों तरफ से प्रहार हो रहा है। किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिलते हैं। खेती में, बीज में, खाद में और सिंचाई में उसका बहुत खर्चा होता है। यदि वह सिचाई करेगा तो उसे रेवेन्यू देना पड़ेगा जिसे स्टेट गवर्नमैंट लेती है। अगर खेत में सिंचाई नहीं होती है तो उस पर रेवेन्यू लग जाता है। व्यावहारिक चीजों पर यहां बहस नहीं होती है। मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकल क्या स्थिति है? डीमारेकेशन हो जाता है कि यह सिंचाई का कमांड एरिया है। कमांड एरिया में जो जमीन पड़ती है, उस सारी लैंड की रसीद कट जाती है चाहि उस पर सिंचाई हो या न हो, खेत में पानी आए या नहीं आए लेकिन पूरे रकबे पर रेवेन्यू लग जाता है। आज किसानो को लागत मूल्य नहीं मिलते हैं। उसे अपनी फसल के लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। हम देश में देख रहे हैं कि जहां कैश क्रॉप ज्यादा है चाहे गन्ने की खेती हो, चाहे कपास की खेती हो, महाराट्र, आन्ध्र प्रदेश में देखिए कि वहां पर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और चिन्ताजनक स्थिति है।

आजादी के 57 वर्ा बाद भी समूचे देश और सरहद में लड़ने वाले जवानों को जो लोग भोजन खिलाते हैं, वे जब आत्महत्या करते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। जब अखबारों में ऐसी खबरें छपती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। मैं वेदना और दर्द के साथ इस सवाल को कहना चाहता हूं। हमें अन्तर्राट्रीय बाजार में धकेला जा रहा है और कहा जा रहा है कि गेहूं, धान की खेती मत करो, फूल लगाओ। यह सब डबल्यूटीओ की लाइन है।

16.00 hrs.

हमने कहा है कि हम अपने कल्चर को नहीं बदलेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि और भी फसल लगे। यह हमारी ट्रैडिशनल खेती है, हम फूल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी इंस्ट्रक्शन्स चल रही हैं कि तुम जो धान पैदा करते हो, गेहूं पैदा करते हो, उसे कम करो और दूसरी फसल लगाओ, अपना कल्चर चेंज करो। अगर हम अपना कल्चर चेंज करेंगे तो हमारी जमीन का जो नेचर है, स्वभाव है, उसमें जिस हिसाब से पानी लगता है, जो सुविधाएं मिलती हैं, उसी हिसाब से फसल लगती है। इसमें मौसम को भी देखना होता है, लेकिन वे कहते हैं कि फूल लगाओ । फूल लगाने का मतलब आप समझिए, वे कह रहे हैं कि खेती को कमर्शियल करो, जबकि खेती घाटे में चल रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें अन्तर्राट्रीय बाजार में धकेल दिया गया है। हम कम्पटिशन में तभी उतरेंगे, जब हर तरफ से हमें पूरी सब्सिडी दी जाए और लागत में कोई नुकसान नहीं हो। खेती को लाभकारी बनाए बिना हमें अन्तर्राट्रीय बाजार के कम्पटिशन में धकेला जा रहा है। उस कम्पटिशन में हमारे लोग पीछे रह जाएंगे । कम्पटिशन दो तरह से होगा - एक तरफ वे होंगे जो पूरी तरह मजबूत होंगे और पूरी सब्सिडी पाने वाले होंगे, जिस तरह से 200-400 प्रतिशत अमरीका में किसानों को खेती करने पर सब्सिडी मिलती है और हम भी इंटरनेशनल मार्किट में इतनी सब्सिडी के साथ आएंगे। मैं अंत में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को विदेशी कृषि उत्पादन का डम्पिंग ग्राउंड नहीं बनने देना चाहिए। बाहर से विदेशी चावल, गेहूं या बाहर का अनाज, जो धड़ल्ले से आता है, बाहर की कृषि पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जाए । जब तक हम अपने एग्रीकल्चर को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर लेते हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर लेते हैं, कम्पटिशन के लायक नहीं हो सकते। बाहर के देशों की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारे देश में न आए, इसके लिए हम इंडिया को किसी भी तरह से डंपिग ग्राउंड नहीं बनने देना चाहते। हमारे देश के किसानों के लाभ में और हमारे राट्र के व्यापक हित में, यह विाये बहुत जरूरी है इसलिए सरकार इस पर जरूर तवज्जह दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN : The time allotted for this Resolution is over. If the House agrees, the time of the Resolution can be extended by half-an-hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इतने महत्वपूर्ण विाय पर चर्चा चल रही है, लेकिन हाउस का हाल यह है कि विपक्ष ने वाकआउट किया हुआ है और सत्ता पक्ष के पर्याप्त लोग भी नहीं हैं। जब सदन में कोरम पूरा हो जाए, तभी आप चर्चा कराएं।â€¦ (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) :सभापति महोदय, सदन में कोरम पूरा नहीं हैâ€¦ (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, जब कोरम पूरा हो जाए, तभी आप चर्चा कराएं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला हैâ€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The bell is being rung --

MR. CHAIRMAN : Since there is no quorum, the House stands adjourned to meet again at 4.45 p.m.

16.14 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till forty-five minutes past Sixteen of the Clock.

16.50 hrs.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

(i) : Relief measures for workers in Agrarian Sector − contd.

MR. CHAIRMAN : Now, the House will resume discussion on the Resolution. Chaudhary Bijendra Singh.

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ) : सभापति जी, आपने मुझे कृाक और कृाक मजदूर से संबंधित वि़ाय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

मान्यवर, यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है । यह देश कृि प्रधान देश है । हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि 70 फीसदी में से 50 फीसदी लोग कृि पर निर्भर करते हैं । एक वक्त था जब देश आजाद हुआ था । उस समय एक कवि ने कहा था कि "उत्तम खेती मध्यम बान, निाि़द्ध चाकरी भीख निदान" । आज इसका उलटा हो गया है । आज किसान कृि को सबसे अक्षम कार्य समझता है । वह समझता है कि इससे बेहतर तो कोई छोटी-मोटी नौकरी भी मिल जाएगी तो अच्छा है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी के कुछ बिंदुओं को सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। आज कृि और कृि पर जो मजदूर निर्भर हैं उनकी जो दुर्दशा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं । आज का किसान बर्बादी के कगार पर खड़ा है । किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान बड़ी मेहनत से खेती करके उत्पादन पैदा करता है और वह किसान जो अपने खून पसीने की कमाई से पूरे देश के लिए अन्नदाता बन कर काम करता है, वह आज अपने उत्थान के लिए भटक रहा है । मैं अपने संज्ञान से सरकार से कहना चाहता हूं कि कृि को उद्योग का दर्जा दिया जाए । जो किसान देश के लिए उत्पादन करता है, उसके सामने खेती करते समय बहुत सारी असुविधाएं आती हैं । किसान को समय से पानी, बिजली, खाद, बीज कुछ नहीं मिल पाता है और न समय से उसे ऋण ही मिल पाता है । इन सब चीजों का असर उसके कृि उत्पादन पर पड़ता है जिससे किसान अपनी आर्थिक उन्नति नहीं कर पाता है और जब कृि बर्बाद होती है तो कृि पर आधारित मजदूर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है । प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वे व्यक्ति जो कृि पर निर्भर हैं, जो किसान के साथ रह कर काम करते हैं, अपने परिवार का पालन पोाण करते हैं, वे मजदूर हैं और वे भी किसान का एक अंग हैं, इन सभी पर असर पड़ता है । मान्यवर, इस देश में सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि आजादी के बाद से ही बहुत सारे विभागों पर किसान की खेती निर्भर करती है । बिजली का अभाव है तो उसका कृि उत्पादन पर असर पड़ता है । बीज समय से नहीं मिलता है तो किसान के उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ता है और समय रहते हुए जब किसान के पास पानी नहीं होगा तो उसका भी कृि पर प्रभाव पड़ता है । आज तक किसी भी कोर्डिनेशन कमेटी ने इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया है जिससे कि समय रहते सभी विभाग आपस में तालमेल करके यह तय कर लें कि जब किसान की फसल का वक्त आता है, बुआई का वक्त आता है तो उसे तमाम साधन समय रहते मुहैया करवा दिए जाएं जिससे कृि के उत्पादन में कोई बाधा न हो । मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जब किसान को ऋण देने की आवश्यकता पड़ती है और वह ऋण लेने के लिए बैंक में जाता है तो उसे कहा जाता है कि अभी क्राप लोन देने का वक्त नहीं आया है । बहुत सारे बिचौलियों के माध्यम से किसानों को ऋण देने की व्यवस्था करने की कोशिश की जाती है जिसका असर किसानों को ऋण लेने में असुविधा के रूप में झेलना पड़ता है । यही नहीं आज कृि को उद्योग का दर्जा न दिए जाने से किसान को बहुत सारी दैवी आपदाओं के कोप का भाजन बनना पड़ता है। एक छोटा सा व्यापारी समय रहते अपनी रोटी-रोजी कमा लेता है। समय रहते आराम से सोता है, उद्योग का दर्जा प्राप्त होने के नाते उसे पूरी सुविधा मिलती है, लेकिन एक किसान जो खून पसीने से चौबीसों घण्टे काम करता है और वह यह भी नहीं जानता है कि उसके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसका मूल्य भी उसे मिलेगा या नहीं। उन्हें उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं है।

मैं आपके माध्यम से किसान के ऋण की ब्याज की दर, जिस तरह से आपके उद्योग के लिए सात या आठ प्रतिशत और किसान को 13 या 14 प्रतिशत पर ब्याज मुहैया कराया जाता है, उस ब्याज दर को कम करने का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे उसका आर्थिक उत्पादन बढ़ सके। इसके साथ ही साथ आपने देखा है कि किसानों के लिए क्राप लोन होता है, बीमा योजना होती है। जब वे क्राप लोन लेते हैं तो बीमे की परसेंटेज भी उसी कर्जे में समाहित होती है। लेकिन जब किसान दैवी आपदा का मुकाबला करता है या उसकी खेती बर्बाद होती है तो कहीं भी पूरे देश में उसे बीमा योजना के तहत बीमा नहीं मिल पाता है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि क्राप लोन के वक्त में बीमे की राशि को भी शामिल कर लिया जाए ताकि उसे योजना का लाभ मिल सके क्योंकि जब किसान को उसके उत्पादन पर बीमा योजना से मुआवजा नहीं मिलता है तो किसान स्वयं बर्बाद होता ही है, साथ ही कृि पर निर्भर रहने वाले दूसरे कर्मकार या कृि मजदूर भी इससे प्रभावित होते है । ऐसे में वे कैसे अपनी आर्थिक उन्नति किस तरह कर सकते हैं, यह संभव नहीं है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि किसान को समय रहते कोआर्डीनेशन कमेटी के माध्यम से बिजली, पानी और खाद मुहैया कराने की कोशिश करनी चाहिए और यदि ये चीजें किसानों को समय पर नहीं मिलती हैं, तो केवल उनका ही नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरे मुल्क के कृि उत्पादन पर असर पड़ता है, जो रा़्ट्र का नुकसान होता है।

महोदय, किसानों ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, कर्नाटक आदि बहुत सारे राज्यों में आत्महत्या कीं। चाहे किसान हो या कोई और हो, आत्महत्या कोई क्यों करता है। जब किसान या किसी आदमी के जीने के सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं, तब वह आत्महत्या करता है। जब किसान बड़ी मेहनत कर के फसल उगाता है और अपनी सारी संचित पूंजी उसमें लगा देता है, लेकिन उसके उत्पादन का उसे लागत मूल्य भी नहीं मिलता है और ऋण का वजन जब उस पर बढ़ता और जब उसकी जमीन नीलाम होने का नम्बर लग जाता है, तो उसके सामने सिवाय आत्महत्या के दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता।

महोदय, किसानों को आत्महत्या से बचाना है, तो हमें उसे दैवी आपदाओं से बचाना होगा। इसके लिए सरकार को कोई ऐसी कार्य-योजना बनानी चाहिए, जिससे दैवी आपदा के समय किसान को राहत मिल सके और उसका उत्थान हो सके। यदि कृि का और किसान का उत्थान होगा, तो कृि मजदूर का भी भला होगा। इसलिए दैवी आपदाओं से छुटकारा पाने के लिए सरकार को जल्दी ही कोई उपाय करने होंगे। दैवी आपदाओं के पुराने मानकों को भी बदलने की जरूरत है। उनकी जगह पर नए मानकों को लागू करने की आवश्यकता है।

महोद्य, देश में कि्सानों के ऊपर ब्हुत ्सारी दैवी आपदाएं आती हैं। भ्ूमि का कटा्व होता है, नहर-नाले टूट जाते हैं, जल प्ला्वन हो जाता है और ब्ड़े पैमाने पर नुक्सान होता है, गां्व के गां्व डू्ब जाते हैं। कि्सान ब्ड़ी मेहनत करके अन्न उपजाता है और ब्ड़ा आ्शान्वित रहता है, लेकिन ज्ब उ्से लगता है कि उ्सकी ्साल भ्र की मेहनत ब्ेकर हो गई और उ्सकी ्सारी खेती प्राकृतिक आपदा के कारण न्ट हो गई, तो उ्सकी ्सारी आ्शा धूल में मिल जाती है। पुराने मानक लागू होने के कारण आज भ्ी उ्से 250, 500 ्या 1000 रुपए प्रति एकड़ की दर ्से मुआ्वजा मिलता है। ज्ब कृ्ि ब्जट पर चर्चा हुई थी, त्ब भ्ी मेरे ब्हुत ्सारे ्साथि्यों ने कहा था और मैं भ्ी इस वि्धेयक पर ब्ोलते हुए ्सरकार के ्संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पुराने मानकों को हटाकर, नए मानक, उत्पादन लागत के अनु्सार ब्नाए जाएं और उन्हें ब्नाते ्सम्य ब्ढ़े हुए ब्ीज, खाद, कीटना्शक, ब्िजली, पानी और डीजल के मूल्यों को आधार माना जाए और त्ब मुआ्वजे के नए मानक निर्धारित कर, मुआ्वजा दि्या जाए और इ्स प्रकार मुआ्वजा ब्ढ़ाने का काम कि्या जाए।

्सभापति महोद्य, मैं कृ्ि मजदूरों की ओर भ्ी आपके माध्यम ्से ्सरकार का ध्यान आकर्ि्त करना चाहता हूं। कृ्ि मजदूर त्ब तक अपना जी्वन ्यापन नहीं कर ्सकता है ज्ब तक कि कृ्ि को उद्योग का दर्जा नहीं दि्या जाएगा। कृ्ि को उद्योग का दर्जा दि्या जाना अ्ब अनि्वार्य हो ग्या है। हमारा कृ्ि प्रधान देश है और इतने लम्बे अर्से के ब्ाद भ्ी हमारे देश में कृ्ि का उत्पादन उतना नहीं ब्ढ़ा जितना ब्ढ़ना चाहिए और ्यह त्भी हो ्सकता है ज्ब कृ्ि को उद्योग का दर्जा दि्या जाएगा। कृ्ि को ब्ढ़ा्वा देने के लिए और कि्सान की आर्थिक स्थिति ्सुदृढ़ करने के लिए ्यह ज्रूरी है कि गां्वों में जो लघु उद्योग हैं, उन्हें ब्ढ़ा्वा दि्या जाए। ज्ब तक ऐसा नहीं कि्या जाएगा त्ब तक कि्सान की उन्नति ्सम्भ्व नहीं है।

महोद्य, आज गां्वों में कि्सानों और मजदूरों की दुर्दशा होने के कारण ्वे रोजी-रोटी की तला्श में महानगरों की तरफ पला्यन कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण कृ्ि पर आधारित रोजगार गां्वों में नहीं मिलना है। उन्हें अपने पापी पेट को भ्ररने के लिए ्शहरों में नौकरी करने के लिए आना प्ड़ता है। इ्स्से महानगरों में प्रदू्ण ब्ढ़ रहा है, रोजी-रोटी अर्थात् रोजगार पर द्बा्व ब्ढ़ रहा है, जन्संख्या द्बा्व ब्ढ़ रहा है। ्यदि गां्वों ्से कृ्ाकों और मजदूरों का पला्यन रोकना है, तो हमें गां्वों में ही उन्हें रोजगार के ्साधन मुहै्या कराने होंगे। गां्वों में उन्हें जी्वन ्यापन के ्साधन उपल्ब्ध कराने होंगे। इसके लिए हमें गां्वों में कृ्ि का्यों को, कृ्ि उद्योगों को ब्ढ़ा्वा देना होगा। मुर्गीपालन, फि्शरीज और डे्यरी जै्से का्यों को गां्वों में ब्ढ़ा्वा देना होगा जि्स्से ्वहां के मजदूर कृ्ाक के ऊपर दै्वी आपदा आने पर, गां्व में ही ्साइड ब्िजनै्स कर के अपना पेट पालन कर ्सकें और अपने जी्वन को ऊपर उठा ्सकें।

महोद्य, इ्सके ्साथ-्साथ मैं कहना चाहूंगा कि एक कहा्वत है- "पतजी्वा कि्सान और ब्तजी्वा व्यापारी" अर्थात् ब्ातों में जो तेज होता है, ्वही व्यापारी होता है और हरे पत्ते की पर्वरि्श करे, उ्से देखकर जिए ्वहीं कि्सान होता है। कि्सान को ज्ब हरा पत्ता होता है, त्ब ्से लेकर ज्ब तक फ्सल ्सूखकर कटकर उ्सके खलिहान में नहीं पहुंचती है, त्ब तक उ्से चैन नहीं मिलता है। फ्सल ्सूखने कटने और खलिहान में फ्सल पहुंचने और उ्से ब्ेचने तक, तमाम ब्िचौलिए होते हैं। ज्ब तक फ्सल ब्िक कर रुपए कि्सान के हाथ में नहीं आ जाते हैं, त्ब तक उ्सका ्शो्ण होता ही रहता है। इसलिए ज्ब तक उ्सके उत्पादन का मूल्य, उत्पादन लागत के अनु्सार, ब्ढ़ाकर नहीं दि्या जाएगा, त्ब तक उ्सकी द्शा नहीं ्सुधर ्सकती है। मैं मांग करता हूं कि कि्सान के उत्पादन को उचित मूल्य पर ब्ेचने के लिए उ्से ्साधन मुहै्या कराने की को्शि्श करनी चाहिए जि्स्से उ्से उत्पादन का ्सही मूल्य मिल ्सके।

17.00 hrs.

मंडि्यों में जो पा्बंदि्यां लगी हुई हैं - एक ्स्टेट ्से दू्सरे ्स्टेट में जाने पर पा्बंदी है, उ्से खोलना चाहिए। उन्हें जहां भ्ी अच्छे मूल्य मिलें, उचित कीमत मिले, ्वहां ्वे अपना माल ले जाकर ब्ेच ्सकें। उ्स पर कोई पा्बंदी न हो, ्वे निर्भ्ीक तरीके ्से काम करें, इसलिए ्यह पा्बंदी हटनी चाहिए। इ्सके ्साथ ही मैं ्यह कहना चाहता हूं कि मूल्य निर्धारण के ्सम्य ्यहां एक आ्योग है, उ्स पर मुझे कुछ कहने में कोई ्संकोच नहीं है। जिन लोगों ने क्भी फ्सल के नाम न ्सुने हों, फ्सल के ब्ारे में कोई नॉलेज न हो, जो लागत के मूल्य की कोई परिभा्ा न जानते हों, ्वे उ्सका मूल्य निर्धारण करते हैं।

महोद्य, मुझे ्यह कहने में कोई ्संकोच नहीं है कि कम ्से कम क्विंटलों पर, जो द्स रुपए क्विंटल रेट ब्ढ़ाए जाते हैं, उ्स ्सम्य ्यह ्सोचना चाहिए कि लागत मूल्य क्या आ रही है। डीजल और खाद के रेट जि्स तरीके ्से ब्ढ़े हैं तथा ब्ाकी ्स्ब चीजों के ब्ढ़े हैं, उ्सी अनुपात में कि्सानों को भ्ी मिलना चाहिए। इ्स देश में क्भी न के ब्रा्बर अन्न पैदा होता था और हमारा देश दू्सरों ्से अन्न मंगाता था, लेकिन ्स्वर्गी्य श्रीमती इंदिरा जी के आने के ब्ाद इ्स देश में अन्न का उत्पादन ब्हुत ब्ढ़ा है, इ्समें कोई दो रा्य नहीं हैं।

महोद्य, इ्स देश में जिन कि्सानों ने क्भी ट्रेक्टर नहीं देखे थे, ्वहां आज ट्रेक्टरों का उत्पादन हुआ। मैं चाहूंगा कि खाद, ब्ीज और एग्रीकल्चर पर ्स्ब्सिडी ब्ढ़ाने की को्शि्श की जाए। हालांकि इ्स ब्जट में कृ्ि पर हमारी ्सरकार ने ब्हुत कुछ करने की को्शि्श की है और कर रही है, लेकिन हमने इ्स चर्चा में जिन ब्िन्दुओं का जि्क्र कि्या है, हमें उम्मीद है कि आप उन ब्िन्दुओं को ध्यान में रखेंगे तथा उन्हें दूर करने की को्शि्श करेंगे, ऐ्सी मुझे आ्शा ही नहीं, ब्ल्कि पूर्ण वि्श्वा्स है। ्यह ्सरकार कि्सानों और मजदूरों की ्सरकार है और उनकी पीड़ा को ्यह अच्छी तरह जानती है।

महोद्य, श्रीमती ्सोनि्या जी ने हमारे मेनिफे्स्टो में भ्ी कहा है कि ज्ब तक गां्व, कि्सान और मजदूर खु्शहाल नही होंगे, त्ब तक देश खु्शहाल नहीं होगा। हमें आ्शा है कि आप कि्सानों की दुर्दशा को ्सुधारने के लिए ब्हुत ठो्स कदम उठाएंगे।

महोद्य, मैंने आपके माध्यम ्से ्सरकार के ्संज्ञान में जिन ब्िन्दुओं को लाने की को्शि्श की है, मुझे उम्मीद है कि आप उन पर ध्यान देंगे। श्री ्वा्सुदे्वन ना्यर जी जो ्संकल्प लाए हैं और जि्स पर हमने चर्चा की है, हम उन्हें भ्ी इ्सके लिए धन्य्वाद देते हैं और आ्शा करते हैं कि नि्श्चित ही आप इ्स पर ध्यान देंगे।

कृ्ि मंत्राल्य में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं ्सार्वजनिक वितरण मंत्राल्य में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भ्ूरि्या) : माननी्य ्सभापति जी, मैं आपका आभ्ारी हूं, पिछले दो ्सत्र ्से इ्स पर चर्चा चल रही थी, आज आपने मुझे इ्स पर ब्ोलने का मौका दि्या है। इ्समें 31 माननी्य ्सद्स्यों ने भ्ाग लि्या और उ्समें इन्होंने काफी अपने अनु्भव और ्सुझा्व दिए हैं। मैं श्री ्वा्सुदे्वन ना्यर जी का ब्हुत आभ्ारी हूं कि उन्होंने काफी अपने महत्वपूर्ण ्सुझा्व दिए हैं। मैं ्सम्य की कमी के कारण ्संक्षेप में ्सदन को अ्वगत करा ्सकूंगा।

माननी्य ्सभापति जी, ्यह ्सदन श्री ्वा्सुदे्वन ना्यर द्वारा रखे गए ्संकल्प में उठाए गए मुद्दे पर पिछले दो ्सत्रों ्से वि्चार वि्मर्श करता आ रहा है। इ्स वि्ा्य पर अनेक माननी्य ्सं्सद ्सद्स्यो ने अपने वि्चार प्र्स्तुत किए हैं, जि्स्से ्यह जाहिर होता है कि कि्सानों और कृ्ि कामगारों की ्सम्स्याओं को हल करने के ब्ारे में ्वे कितने अधिक चिंतित हैं। ्यह ब्ड़े ्संतो्ा की ब्ात है कि माननी्य ्सद्स्यों ने अपने राजनीतिक ब्ंधनों ्से ऊपर उठकर कृ्ि क्षेत्र में लगे कि्सानों और कामगारों के मामले में पूरी एकता ्से पूरा ्समर्थन द्र्शा्या है। प्र्स्ता्व पर हुए वि्चार वि्मर्श के दौरान मानीन्य ्सद्स्यों द्वारा दिए गए ्सुझा्वों को नोट कर लि्या ग्या है। ्ये ्सुझा्व ्सामान्य तौर पर कृ्ि क्षेत्र और वि्शे्ाकर कि्सानों के ्सामने आने ्वाली वि्भिन्न ्सम्स्याओं ्से निपटने के लिए नई रणनीति्यां ब्नाने में हमारी मदद करेंगे।

17.04 hrs. [Shri Pawan Kumar Bansal in the Chair]

्सभापति जी, मैं प्रारं्भ में उल्लेख करना चाहूंगा कि ्यू.पी.ए. ्सरकार ने पहले ही अपने न्यूनतम ्साझा कार्य्क्रम में उन क्षेत्रों की पहचान की है. जिन पर केन्द्र्भूत और

प्राथमिकता पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु हैं- तीन वर्षों में ग्रामीण ऋण को दुगुना करना, किसानों पर ऋण के बोझ को कम करना, ग्रामीण ऋण की ब्याज दर कम करना और सहकारी समितियों की हालत को फिर से सुधारना, शुष्क भूमि खेती, बागवानी विकास तथा जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। कृषि अनुसंधान और विस्तार, विपणन, ग्रामीण अवसंरचना तथा सिंचाई में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना और आयात से तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के गिरने से किसानों का संरक्षण। माननीय वित्त मंत्री ने 28.2.2005 को अपने बजट भाषण में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है।

केन्द्रीय सरकार देश के कई राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या के मुद्दे पर पूरी तरह से जागरूक है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के जो कारण हैं, वे हैं फसल हानि, अधिक ब्याज दर पर लिए गए ऋण के कारण ऋणग्रस्तता, सूखा, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा आदि।

यद्यपि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में कृषि के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार हैं, फिर भी केन्द्रीय सरकार ने कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उच्च प्राथमिकता दी है। तदनुसार, विभिन्न स्कीमों के माध्यम से कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाते हैं और योजना प्रावधान किए जाते हैं। फसल हानि की प्रतिपूर्ति के लिए फसल बीमा स्कीम, मंडी मूल्यों के निश्चित स्तर से नीचे आने की स्थिति में कृषि उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मूल्य समर्थन और मंडी हस्तक्षेप योजनाओं जैसी अनेक अनुकूल स्कीमें पहले ही प्रचालन में हैं। ये सभी स्कीमें मौसम की विविधताओं और अन्य विद्यमान जोखिमों से किसानों को बचाने के लिए हैं।

यू.पी.ए. सरकार ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए कृषि और इसके संबद्ध क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान वर्ष के लिए योजना परिव्यय को बढ़ाकर 4179.32 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है, जबकि वर्ष 2004-2005 के लिए संशोधित परिव्यय 2945 करोड़ रुपये था। इस आबंटन में से 1500 करोड़ रुपये नई पहलों के लिए जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन सहित राष्ट्रीय बागवानी मिशन (800 करोड़ रुपये), सूक्ष्म सिंचाई (400 करोड़ रुपये), शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली (100 करोड़ रुपये) विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

कई माननीय सदस्यों ने किसानों को संस्थागत स्रोतों से ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता के बारे में चिन्ता जताई है। ऋण सहकारी समितियों का पुनरुद्धार करके ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने की जरूरत के बारे में कोई विवाद नहीं है। असलियत में सरकार ने प्रो. विद्यानाथन की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया था, जिसे सहकारी ढांचे को पुनर्जीवित करने हेतु कार्यान्वयन किए जाने योग्य कार्ययोजना का सुझाव देने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। कार्यबल की रिपोर्ट को सिद्धान्त रूप से सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब समिति को दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचे का अध्ययन करने और इसके पुनरुद्धार के उपाय सुझाने तथा सिफारिश करने का दायित्व सौंपा गया है।

28 फरवरी, 2005 के अन्त तक सभी एजेंसियों द्वारा 4.84 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा 7884 लाख नए किसान इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के दायरे में लाए गए हैं और किसान क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से वित्त मुहैया कराया गया है। वित्त मंत्री जी ने 28.2.2005 को अपने हाल के बजट भाषण में बैंकों के दायरे में 50 लाख और नए किसान लाने की घोषणा की है।

वर्ष 2004-05 के दौरान 1,15,200 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया था। यह आशा की जाती है कि वर्ष 2004-05 के दौरान ऋण प्रवाह की तुलना में वर्ष 2005-06 में 30 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना करते हुए वर्ष 2005-06 के दौरान ऋण प्रवाह 1,50,000 करोड़ का रूपये होगा। इसके अलावा ग्रामीण अवसंरचना में निवेश की गति को तेज करने के लिए वर्ष 2005-06 के लिए आरआईडीएफ के अधीन 8000 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है और अधिक ग्रामीण अवसंरचना के सृजन से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर और अधिक ऋण के प्रवाह को प्रेरणा मिलेगी।

स्थायी अनुदेश तैयार किए गए हैं जिनमें कृषि उत्पादन के प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने के मामले में अल्पावधि उत्पादन ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा, वित्त मंत्री द्वारा 18 जून, 2004 को घोषित ऋण राहत पैकेज में मजबूर किसानों या ऐसे किसानों, जिनके पास बकाया ऋण है, के संबंध में वर्तमान बकाया ऋणों के पुनः निर्धारित करने का प्रावधान है ताकि ऐसे किसान बैंकों से नए वित्त प्राप्त करने के पात्र बन सकें।

भारतीय रिज़र्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के क्रम में मजबूर किसानों के संबंध में बैंकों ने वर्ष 2004-05 (28.2.2005 तक) में 68200 करोड़ रूपये की राशि के ऋण पुनः निर्धारित किए हैं। इसी तरह से, इसी अवधि में ऐसे किसानों, जिनके पास बकाया ऋण हैं, के मामले में 1696 करोड़ रूपये के राशि के ऋणों का भी पुनः निर्धारण किया गया है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बारगी निपटान स्कीम के अधीन वर्ष 2004-05 के दौरान 28.2.2005 तक 625 करोड़ रूपये की राशि के ऋणों का निपटान किया गया है। 14828 किसान, जो साहूकारों जैसे ऋण के अनौपचारिक स्रोतों से ऋणग्रस्त थे, उन्हें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 28.2.2005 तक 39.00 करोड़ रूपये के ऋण दिए गए।

किसानों के लिए ऋण के निर्बाध और सरल प्रवाह के लिए नाबार्ड के परामर्श से भारतीय स्टेट बैंक और कुछ अन्य वाणिज्यिक बैंकों ने बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए एक सरलीकृत ऋण फार्म तैयार किया है। 50,000 रूपये तक के ऋण को समर्थक ऋणाधार और मार्जिनमुक्त भी बनाया गया है। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे किसानों के प्रति सौम्य और मृदुल रहें। भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड द्वारा किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि किसान बैंकों से कम बाधा पर ऋण प्राप्त कर सकें। किसान क्रेडिट कार्ड्स शुरू करने, ऋण दस्तावेजों का सरलीकरण, जैसी विभिन्न पहलों से यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में निचले स्तर की स्थिति में सुधार होगा।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में यह जरूरी कर दिया गया है कि सभी ऋणी किसान फसल बीमा कराएं। फलस्वरूप ऋण पहले ही फसल बीमा के साथ जुड़ा है। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है, भारत सरकार वर्ष 2005-06 के दौरान इस स्कीम को जारी रख रही है।

श्री वासुदेवन नायर, श्री हन्नान मुल्ला, श्री पवन कुमार बंसल, श्री बी. मेहताब, श्री राम कृपाल यादव जी ने कृषि कामगारों के लिए एक केन्द्रीय कानून की आवश्यकता पर बल दिया है। असलियत में कृषि कामगारों के लिए केन्द्रीय कानून पिछले 25 वर्षों से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करता रहा है किन्तु राज्य सरकारों में सर्वसम्मति की कमी के कारण इसके कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। तथापि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय असंगठित कामगारों के रोजगार और सेवा, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण विनियमित करने के उद्देश्य से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कानून लाने की प्रक्रिया में है। अन्य व्यवसायों में से कृषि एक व्यवसाय है जिसे प्रस्तावित कानून के अधीन कवर किया जाएगा।

श्री नायर द्वारा उठाया गया अगला मुद्दा प्राकृतिक रबड़ से संबंधित है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्राकृतिक रबड़ सरकार की डब्ल्यूटीओ व्यवस्था के अधीन नीतियों के अनुसार है। मात्रात्मक प्रतिबंध मुक्त व्यवस्था में प्राकृतिक रबड़ के आयात पर पूर्ण रोक नहीं हो सकती है। तथापि, सरकार ने देश में प्राकृतिक रबड़ के आयात में किसी संभव प्रवाह को नियंत्रित करने के पर्याप्त कदम उठाए हैं। प्राकृतिक रबड़ को संवेदनशील वस्तुओं में शामिल किया जाता है, जिसके आयात को नजदीक से मानिटर किया जाता है।

श्री नायर ने देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने का मुद्दा भी उठाया। इस संदर्भ में भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ निरंतर सम्पर्क में है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक जैसे कई राज्यों, जहां किसानों द्वारा सर्वाधिक आत्महत्याएं की गई हैं, ने सूचना दी है कि समस्याओं से निपटने के

लिए पहले ही आव्श्यक कदम उठाए हैं।

श्री नायर ने खेतीहर काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार दिए जाने के मुद्दे का उल्लेख किया। इस संदर्भ में मैं स्पट करना चाहूंगा कि कई राज्यों में काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार देने अथ्वा क्षतिपूर्ति के भुगतान करने पर खेतीहर काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार होने के प्रावधान हैं। कुछ राज्यों ने भूमि-स्वामियों से भूमि के स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लिए हैं और वे काश्तकारों को इस्तांतरित कर दिए हैं। आज की तारीख तक 124.22 लाख काश्तकारों ने 156.30 लाख एकड़ के संरक्षित क्षेत्र पर अपने अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। नवम्बर, 2004 में हुए राज्यों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में भूमि सुधारों को और अधिक प्रभाव्शाली तथा जोरदार रूप से कार्यान्वित करने का संकल्प पारित किया था।

श्री वासुदेवन नायर, श्री रामजी लाल सुमन, श्री एस.के. खारवेन्थन तथा श्री डंगवास ने उल्लेख किया है कि किसान अपने उत्पाद के लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो कि एक स्वतंत्र आयोग है, मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। आयोग मांग और आपूर्ति स्थिति, खेती/उत्पादन की लागत, घरेलू और वैश्विक मंडी मूल्यों, अंतर फसल समानता, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों आदि से संबंधित अनेक घटकों को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारित करता है।

श्री पी.सी. थॉम्स ने खड़ बागानों के लिए राजसहायता चाही है। खड़ बोर्ड की वर्धित राजसहायता मुहैया कराकर छोटे और सीमांत उत्पादकों को सहायता देने कर एक समेकित खड़ बागान विकास स्कीम है।

साथ ही श्री पी. करूणाकरन ने उत्कृट भारतीय क्वालिटी के साथ घटिया क्वालिटी की काली मिर्च और इलायची मिलाने का मुद्दा उठाया है। भारतीय मसालों के नाम से पुनः निर्यात करने के उद्देश्य से आयातित मसालों और भारतीय मसालों को मिलाना अमुमत नहीं है। भारतीय काली मिर्च के साथ आयातित काली मिर्च को मिलाने और उन्हें फिर से निर्यात करने के दो ऐसे मामलों का मसाला बोर्ड द्वारा पता लगाया गया है जिसके फलस्वरूप संबंधित निर्यातकत्ताओं के पंजीकरण के प्रमाणपत्रों को एक विशे अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है।

श्री करूणाकर ने केरल सरकार के उस अभ्यावेदन का मुद्दा भी उठाया है जिसमें राज्य में लगातार दो वर्षों से सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता की मांग की गई है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों की समस्याओं का अध्ययन करने तथा कृषि ऋण, फसल बीमा, बैंकिंग समर्थन आदि की आव्श्यकता का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल ने राज्य के वायानाड और पालघाट जिलों का दौरा किया। सरकार ने उस समय से राट्रीय आपदा आक्सिमकता कोा से 106 करोड़ रुप्ये तथा बृहत कृषि प्रबंधन की स्कीम से 30 करोड़ रुप्ये स्वीकृत किए हैं जो तीन वार्षिक किस्तों में निर्मुक्त किए जाने हैं।

उन्होंने किसानों पर आयात नीति के प्रतिकूल प्रभाव का भी उल्लेख किया। वास्तव में भारत का वर्ा 1991 से अंतर्राट्रीय कृषि व्यापार खाते में अधिशे रहा है। भारत के कृषि सकल घरेलू उत्पाद में आयातों का शेयर बहुत कम बना हुआ है तथा वर्ा 2001 में मात्रात्मक प्रतिबंधों के हटाने के बाद भी स्थिति में प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं आया है।

इसके साथ ही माननीय सदस्य श्री स्वेन ने संविदा कृषि की आव्श्यकता पर बल दिया है। सरकार ने हाल ही में राज्यों के बीच संविदा कृषि हेतु आदर्श करार परिचालित किया है। कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही अपने ए.पी.एम.सी. अधिनियम संशोधित कर दिए हैं तथा कुछ अन्य राज्य संविदा कृषि को सुकर बनाने के लिए अधिनियम को संशोधित करने की प्रक्रिया में हैं।

श्री खारवेंथन, श्री आर.एस. रावत, श्री रामदास आठवले, डा. आर.के. कुसमारिया, श्री के.एस. मनोज तथा श्रीमती पूर्णदेव्श्वरी ने नदियों को शीघ्रतर परस्पर जोड़ने का सुझाव दिया है। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि जल संसाधन विकास हेतु राट्रीय संदर्शी योजना (1980) जल संसाधनों के इटतम उप्योग के लिए जल की अधिकता वाले कछारों से जल की कमी वाले कछारों तक जल के स्थानांतरण हेतु प्रायद्वीपीय नदियों तथा हिमालयी नदियों को आप्स में जोड़ना परिकल्पित करती है। राज्यों के बीच अधिशे जल को शेयर तथा स्थानांतरित करने तथा प्राथमिकता वाली योजनाएं, जो शीघ्र क्रियान्वित की जा सकें, तथा उनके निपटान, वित्त पोाण आदि के लिए तंत्र को पहचानने के लिए भी एक फार्मूला तक पहुंचने के लिए उप्युक्त तंत्र तैयार करने और रूपात्मकताएं सुझाने के लिए दिसम्बर, 2002 में नदियों को परस्पर जोड़ने पर एक कार्य बल गठित किया गया था। कार्य बल ने दो कार्य योजनाएं प्रस्तुत कीं तथा उनकी सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हाल ही में नदियों को परस्पर जोड़ने के कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया था तथा यह निर्ण्य लिया गया कि प्रायद्वीपीय घटक पर ध्यान देने के साथ इस कार्यक्रम को जारी रखा जाए।

श्री आर.एस.रावत, श्री पवन कुमार बंसल और श्री सीता राम सिंह ने लघु सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के मुद्दे को उठाया है। मैं यह सूचित करना चाहूंगा कि 94,700 हैक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने वाली 2488 लघु सिंचाई परियोजनाओं को वर्ा 1999-2000 से अब तक पूरा कर लिया गया है। दसवीं योजना के दौरान 153 करोड़ रुप्ये की केन्द्रीय ऋण सहायता दी गयी है। 835 स्कीमें पूरी कर ली गयी हैं तथा 45070 हैक्टेयर की क्षमता सृजित की गयी है। इसके अलावा देश में जल निकायों की भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए कृषि से सीधे जुड़े हुए मरम्मत, पुनरूद्धार और सुधार से संबंधित एक पायलट स्कीम भी क्रियान्वयन के लिए तैयार की गयी है। वर्तमान बजट में माननीय वित्त मंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई के लिए 400 करोड़ रुप्ये का आवंटन किया है जिसके अधीन ड्रिप और स्प्रिंकलर सेटों पर राजसहायता दी गयी है।

श्री आठवले ने जल संचयन को बढ़ावा देने की आव्श्यकता पर जोर दिया। मैं उनके इन विचारों का समर्थन करता हूं और हम पनधारा विकास परियोजनाओं के जरिए इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। अब तक पनधारा दृटिकोण के अधीन लगभग 30 मिलियन हैक्टेयर भूमि का सुधार किया गया है। खाद्यान्न उत्पादन को दुगुना करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित प्राकृतिक संसाधन प्रबंध पर कार्य बल ने अन्य बातों के साथ-साथ अगले दस वर्षों के दौरान पनधारा ि वकास कार्यक्रम के अंतर्गत 25 मिलियन हैक्टेयर क्वर करने की सिफारिश की है।

साथ ही श्री बची सिंह रावत ने शुक भूमि कृषि और बागवानी के संवर्धन का मामला उठाया। मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि शुक भूमि क्षेत्रों में कृषि के ि वकास की स्कीम तैयार की जा रही है। वर्ा 2005-2006 हेतु 200 करोड़ रुप्ये का परिव्यय प्रदान किया गया।

श्री रावत ने जैव कृषि के संवर्धन का भी सुझाव दिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जैव कृषि के संवर्धन के लिए "राट्रीय जैव कृषि परियोजना " नामक एक नई स्कीम दसवीं योजना की शे अवधि के दौरान देश में जैव कृषि के उत्पादन, संवर्धन, मण्डी विकास के लिए 57 करोड़ रुप्ये के परिव्यय के हाल ही में अनुमोदित किया गया है।

श्री के.एस. मनोज, श्री गुरमीत सिंह राणा और श्री बची सिंह रावत ने फसल विविधीकरण की आव्श्यकता को रेखांकित किया। मैं इस बात से सहमत हूं कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने तथा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए परम्परागत फसलों के बदले में तिलहन, दलहन, बागवानी, पुपकृषि, औधीय जैसी उच्च मूल्य वाली और अधिक लाभकारी फसलों की खेती करना समय की मांग है।

तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2011-12 तक बागवानी उत्पादन को दुगुना करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन शीघ्र ही चालू किया जा रहा है। इसके साथ ही डा. चिंता मोहन ने किसानों द्वारा सीधे ही अपने उत्पाद भारतीय खाद्य निगम को बेचने का सुझाव दिया। केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेन्सियों के जरिए चावल, मोटे अनाजों और गेहूं के लिए मूल्य समर्थन देती है। किसी विशिट केन्द्र पर बिक्री के लिए विशिट विनिर्देश के अनुरूप सभी खाद्यान्न को सार्वजनिक अधिप्राप्ति एजेन्सियों द्वारा खरीदा जाता है। उत्पादकों के पास यह विकल्प है कि वे समर्थन मूल्यों पर अपने उत्पाद को भारतीय खाद्य निगम/ राज्य एजेन्सियों को बेचें अथवा खुले बाजार में बेचें, जो भी उनके लिए लाभकारी हो।

उन्होंने उर्वरक राजसहायता का भी मामला उठाया तथा कुछ फार्मूला तैयार करने की अपेक्षा की ताकि राजसहायता गरीब से गरीब किसान तक पहुंचे। इस संबंध में मैं यह स्पट करना चाहूंगा कि यूरिया ही ऐसा नियंत्रित उर्वरक है जिसे सांविधिक अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जाता है तथा नियंत्रण रहित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरक जैसे डी.ए.पी., एम.ओ.. और एनपीके मिश्रणों को निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जाता है।

श्री हन्नाह मोल्लाह, श्री शैलेन्द्र कुमार और श्री अवतार सिंह भडाना ने राज्स्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उन भागों में हाल ही की ओलावृटि का मुद्दा उठाया जहां फसलें क्षतिग्रस्त हो गई थीं तथा वे सरकार द्वारा तत्काल इस मामले पर ध्यान देने तथा किसानों को क्षतिपूर्ति करने की अपेक्षा करते हैं। मैं उनको यह सूचित करना चाहूंगा कि राज्स्थान, महाराट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों ने ओलावृटि के कारण हुई क्षति के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सहायता से संबंधित ज्ञापन गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया है। केन्द्रीय दलों ने महाराट्र और राज्स्थान के ओलावृटि से प्रभावित क्षेत्रों से हुई क्षति का अपना मूल्यांकन पूरा कर लिया है जबकि एक केन्द्रीय दल मध्य प्रदेश का वर्तमान में दौरा कर रहा है। ओलावृटि से हुई क्षति के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सहायता मांग रहे किसी अन्य राज्य से कोई औपचारिक अनुरोध/ ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

बहुत सारे माननीय सदस्यों के सवालों के जवाब मैंने दिये हैं मगर समय की कमी है। मैं उन माननीय सदस्यों की चिंता की सराहना करता हूं जिन्होंने किसानों और कृषि कामगारों की समस्या के समाधान हेतु कई सुझाव दिए हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार कृषि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सभी संभव प्रयास करेगी। इस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए मैं माननीय सभापति जी से अनुरोध करता हूं कि वह श्री वासुदेवन नायर जी को अपना संकल्प वापस लेने के लिए राजी करें। यह मेरी प्रार्थना है।

MR. CHAIRMAN : We have had a very elaborate discussion on this subject but since the Mover of this Resolution, Shri P.K. Vasudevan Nair is not present in the House at the moment, I suppose, we would have to put this Resolution to vote.

The question is:

> "Taking into account the unprecedented crisis in agrarian sector, which has resulted in debt trap, unemployment and poverty of the farmers and agricultural workers and mass suicide by them, this House urges upon the Government to take adequate relief measures for the rehabilitation of the families of those who have committed suicide and also to take effective debt relief measures along with measures to refinance the agrarian sector so that it again gets revitalised as the most important economic sector in the country."

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up Item No. 18.

Adv. Renge Patil Tukaram Ganpatrao - Not present.

Shri C.K. Chandrappan.

16.49 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at forty-nine minutes past Sixteen of the Clock.

(Shri Varkala Radhakrishnan *in the Chair*)

MR. CHAIRMAN : Now, the Secretary-General is to place messages from the Rajya Sabha.